कार्यालय संभागीय मुख्य वन संरक्षक कोटा

पता–किशोरपुरा कोटा–09 (राज0), ईमेल:–ccffdp.kota@gmail.com दूरभाष:– 0744–2500194

क्रमांक:एफ13(वन संरक्षण)/समुवसं/2022/928 दिनांक : 10/02/2023

निमित्त,

उप वन संरक्षक
कोटा

विषयः Land for Extention of Bhamashah Krishi Upaj Mandi Samiti (Raj.)
(Proposal No. FP/RJ/Others/20036/2016

प्रसंगः आपका पत्र क्रमांक एफ ( )उवसं/तक/2022–23/1072 दिनांक 03.02.2023

महोदय,

उपर्युक्त विषयान्तर्गत आपके उक्त संदर्भित पत्र से प्रेषित पालना में निम्न कमियां पायी गयी है। जिनकी पूर्तियां अपेक्षित है:–

1. बिन्दु संख्या (1) में वन संरक्षण अधिनियम 1980 की मार्गदर्शिका 2019 के पेरा न0 1.21 के अनुसार तथ्यात्मक रिपोर्ट अपेक्षित थी जो सही नही है इसके अलावा प्रकरण में वन संरक्षण अधिनियम के उल्लघंन हेतु दर्ज प्रथम सूचना रिपोर्ट की दिनांक सही प्रतीत नही होती है।
2. बिन्दु संख्या 2 में गैर वन भूमि पर ही जयूलिफ्लोरा उन्मुलन के बाद 1100 पौधे प्रति है0 लगाये जाने की अनुशंषा की है जबकि पूर्व में प्रस्तावित गैर वन भूमि पर पूर्ण पौधे नही लगने के कारण परिग्रांषित वन भूमि (DFL) पर भी वृक्षारोण प्रस्तावित किया गया था। अतः गैर वन भूमि पर कितने पौधे लगेगें तथा यदि सभी 96000 पौधे गैर वन भूमि पर लगना संभव नही हो तो अवशेष पौधे परिग्रांषित वन भूमि पर लगाने हेतु योजना/के.एम.एल. संलग्न करे।
3. बिन्दु संख्या 3 में आक्षेप के अनुरूप आपका जवाब अस्पष्ट व अपूर्ण है।
4. बिन्दु संख्या 5 में परिग्रांषित वन भूमि (DFL) हेतु योजना संलग्न करना अंकित किया है जो सलग्न नही है तथा बिन्दु संख्या 2 पर आपके जवाब के विरोधाभासी है।
5. बिन्दु संख्या 6 में संलग्न की गयी नवीन स्थल निरीक्षण रिपोर्ट में 3 (b) को बोल्ड नही किया गया है, तथा स्पष्ट अनुशंषा नही की गई। पूर्व की स्थल निरीक्षण रिपोर्ट मे कई शर्ते लगायी गई थी वह भी सम्मिलित नही की गई है।
6. बिन्दु संख्या 9 में प्रयोक्ता अभिकरण द्वारा सी.ई.सी. में प्रस्तुत प्रार्थना पत्र तथा प्रधान मुख्य वन संरक्षक को लिखे गये पत्र की प्रति संलग्न करें।
7. बिन्दु संख्या 11 का उत्तर अपूर्ण है। यदि गैर वन भूमि पर पूर्ण पौधे नही लग पाऐगें तो DFL का स्थल उपर्युक्तता प्रमाण पत्र भी संलग्न करें।
8. बिन्दु संख्या 12 में प्रकरण में 1998 एफ.आई.आर काटा जाना उल्लेखित है जबकि आपके बिन्दु संख्या 1 के प्रत्युत्तर में 1996 की एफ.आई.आर. को कम्पाउण्ड करने का उल्लेख है स्थिति स्पष्ट करें।

अतः उक्त बिन्दुओ की पूर्ति करते हुए प्रकरण पुनः भेजे ताकि अग्रिम कार्यवाही की जा सकें।

संलग्नः–यथाप्राप्त।

भवदीय

(महेश चन्द गुप्ता)
संभागीय मुख्य वन संरक्षक
कोटा